पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2015 ई0 (भाद्रपद 14, 1937 शक सम्वत्) [संख्या–36

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	571–590	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	591–605	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	234	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

विविध

23 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 631/2015/26(100)/XXVII(8)/07–"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण में सहायक निबन्धक की सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा नियमावली,2015

भाग–1–सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा नियमावली,2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2.उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा एक राजपत्रित सेवा है,जिसमें समूह"ख"का पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क)"नियुक्ति प्राधिकारी" से अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख)"भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,जो संविधान' के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो;

(ग)"संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ)"सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ड)"राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च)"सेवा के सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस नियमावली के उपबन्धों या इस नियमावली के लागू होने से पहले प्रवृत्त नियमावली तथा आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त हो;

(छ)"सेवा"से अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड के प्रशासकीय नियंत्रण में सहायक निबंधक,वाणिज्य कर अधिकरण सेवा अभिप्रेत है;

(ज)"मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;

(झ)"भर्ती का वर्ष"से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो– संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4.(1)सेवा की सदस्य संख्या और उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2)सेवा की सदस्य संख्या और उसके अर्न्तगत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या,जब तक उपनियम(1)के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश पारित न कर दिए जायें, उतनी होगी,जो संलग्न "परिशिष्ट" में दी गई है;

परन्तु

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं,जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा के पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी–

(एक)मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी,ग्रेड–2, वेतनमान,9300–34800(ग्रेड वेतन,4600) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने संवर्ग में न्यूनतम 12 वर्ष की निर्बाध सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो)ऐसे वैयक्तिक सहायक, ग्रेड–1,वेतनमान,9300–34800(ग्रेड वेतन, 4200) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने संवर्ग में कम से कम 5 वर्ष की निर्बाध सेवा पूर्ण कर ली हो,

परन्तु यह है कि इन पोषक पदों पर निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त अधिक सेवाकाल वाले कार्मिक को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रदत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

7. नियुक्ति प्राधिकारी,तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियाँ और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

भर्ती की प्रक्रिया

8. (1) सेवा संवर्ग के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती 'अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, 'ज्येष्ठता' के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों में से चयन करके की जायेगी जो भाग 3 के नियम 5 के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्र हैं।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित होगें:–

(एक)अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण — अध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी

(दो)सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण — सदस्य

(3)नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग के पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा जिनके लिए चयन किया जाना है।

(4)पात्रता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले समस्त अभ्यर्थियों की पात्रता–सूची उनकी चरित्र पंजियों एवं ऐसे अन्य सभी अभिलेख सहित, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो और इस प्रयोजन के लिए तर्क संगत हो,चयन समिति के समक्ष रखे जायेगें।

(5)जिस पद के लिये चयन करना है, उसके लिये पदोन्नति के पात्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये चयन समिति उन सभी के मामलों में उनकी चरित्र पंजियों और अन्य अभिलेखों के सन्दर्भ में,जो उनके समक्ष रखे गये हैं,विचार करेगी।

(6)चयन समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नामों को उस संवर्ग में, जिसमें पदोन्नति की गयी है,उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायेगा। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम उन रिक्तियों की संख्या के दुगने होंगे,जिनके लिये चयन किया जाना हो।

(7)एतद्पश्चात,चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी के पदोन्नति सम्बन्धी आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

भाग पॉच–ज्येष्ठता,परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

ज्येष्ठता

9. (1) एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते है तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिससे उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्ति किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं, तो अभ्यर्थियों की परस्पर

ज्येष्ठता वही होगी जो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के नियम 15 के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है;

परन्तु उपलब्ध यह है कि:—

(एक) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्व नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रख जायेगा।

(दो) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्त्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ, संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, किसी अन्य स्त्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्व की गयी है।

परिवीक्षा 10.(1)सेवा में मौलिक रिक्तियों में या उनके प्रति नियुक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेगें।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद या किसी अन्य समान या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा–अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

(3)नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें,वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है जिसमें वह उस निश्चित तिथि को विनिर्दिष्ट करेगा जब तक अवधि बढायी गई हो;

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय,परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की अवधि के अन्त में या बढ़ायी गई परिवीक्षा की अवधि में,जैसी भी स्थिति हो,यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह अन्यथा समाधान करने में असफल रहा है,तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो,प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार(लिएन) नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(5) कोई व्यक्ति,जिसकी सेवायें उप–नियम(4) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित की जाय या समाप्त कर दी जाय,किसी प्रतिकर को पाने का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण 11. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि के अन्त में अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा,यदि–

(क)उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया है,

(ख)उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, और

(ग)नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2)जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,2002 के उपबन्ध के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो,वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश,कि सम्बन्धित कार्मिकों ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली है,स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

भाग छः–वेतन इत्यादि

वेतनमान 12. (1)सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होगा:–

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1.	सहायक निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड	वेतन बैंड–2	रू0–9300–34800	रू0 4600

परिवीक्षा अवधि में वेतन 13.(1)परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन,जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

भाग सात–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 14. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति,चाहे लिखित हो या मौखिक,पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 15. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में,जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों,सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों,विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों का शिथिलीकरण

16. यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी,आदेश द्वारा,इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन,उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल कर देगी जो वह उस मामले के सम्बन्ध में न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे।

व्यावृत्ति

17. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा,जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट
{देखिये नियम 4(2)}

सेवा में और उसमें सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के पदों की वर्तमान संख्या–

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या		कुल योग
		स्थायी	अस्थायी	
1.	सहायक निबंधक,वाणिज्य कर अधिकरण	–	1	1

आज्ञा से,
राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 631/2015/26(100)/XXVII(8)/07, dated July 23, 2015 for general information.

NOTIFICATION

Miscellaneous

July 23, 2015

No. 631/2015/26(100)/XXVII(8)/07--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the 'Constitution of India' and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of person's appointed to the Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service--

The Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service Rules,2015

Part-I-General

Short title and commencement

1. (1)These rules may be called " The Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service Rules 2015."
(2)They shall come into force at once.

Status of the service

2. The Uttarakhand Commercial Tax Tribunal Assistant Registrar Service is a Gazetted sevice, compriseing Group'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context-

(a) "Appointing Authority''means the Chairman,Commercial Tax Tribunal, Uttrakhand;

(b)"Citizen of India''means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c)" Constitution''means the Constitution of India;

(d)"Government''means the State Government of Uttrakhand;

(e) "Governor'', means the Governor of Uttarakhand;

(f)"Member of the service''means a person substantively appointed under the provisions of these rules or rules and orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(g) "Service"means Commercial Tax Tribunal Asistant Registrar service under the administrative control of the Chairman,Commercial Tax Tribunal, Uttrakhand;

(h)''Substantive Appointment''means an appointment,not being an ad hoc appointment,on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and,if there are no rules,in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions, issued by the Government; and.

(i)''Year of Recruitment''means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part- II- Cadre

Cadre of Service 4.(1)The strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2)The strength of the Service and each category of posts therein shall,until orders varying the same are passed under sub-rule(1) be as given in the annexed 'Appendix';

Provided that: --

(i)The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post,without thereby entitling any person to compensation .

(ii)The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part- III- Recruitment

Source of Recruitment 5. Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion through a Selection Committee on the basis of Seniority, subject to rejection of unfit from the following sources-

(i) From amongst such substantively appointed Administrative Officer Grade-II, in the pay scale of Rs 9300-34800 (Grade Pay,4600) who have completed 12 years continuous service in his cadre on the first day of the recruitment year.

(ii) From amongst such Personal Assistants,Grade-1,in the pay scale of Rs 9300-34800 (Grade Pay,4200) who have completed 5 years continuous service in their cadre on the first day of the recruitment year.

Provided that:--

The employees having service more than the prescribed service period on these feeder posts shall be placed at the top in the eligibility list.

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Seheduled Tribes,Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment;

Part- IV- Procedure for Recruitment

Determination of vacancies

7. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year in accordance with the rules,for the time being in force and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6.

Procedure for Recruitment

8.(1) Recruitment by promotion to the cadres of the Service shall be made by selection on the basis of seniority,subject to rejection of unfit from amongst the employees,who are eligible for promotion under rule 5 of part-III through the selection committee.

(2) The selection Committee shall compirse the following:-

(i)Chairman,Commercial Tax Tribunal	Chairman/Appointing Authority
(ii) Member,Commercial Tax Tribunal	Member

(3)The Appointing Authority shall determine the number of each catigory of vacancies for which selection is to be made.

(4)The eligiblity list of all the candidates included in the field of eliglbilty along with their character rolls and all such other records,if any,as may be considered necessary and relevant for the purpose,shall be placed before the selection committee.

(5)The selection Committee,for the purpose of determinating the suitability of the candidates eligble for promotion to the post for which selection is to be made,shall consider the cases of all the candidates with refrecnce to their character rolls and other records pertaining to them, placed before it.

(6) The names of the candidates selected by the selection committee shall be arranged in order of seniority in the cadre from which they are promoted.The names of the candidates in the selection list so prepared shall be twice the number of vacancies for which selection is to be made.

(7) Thereafter the Appointing Authority shall, in accordance with the rules,issue promotion orders of the candidates recomended for promotion by the Selection Committee.

Part- V- Seniority,Probation and Confirmation

Seniority

9.(1) Except as hereinafter provided, the seniority of a person shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants (Seniorty) Rules,2002. If two or more persons are appointed together, their seniority shall be determined by such order in which their names one arranged in the appointment order;

If the appointment order specifies a particular back date with affect from which a person is substantively appointed, that date will be

deemed to be the date of order of subatantive appointment and in other cases it will mean the date of issue of the order;

Provided further that if more than one ordera of appointment are issued in respect of any one selection, the inter se seniority of the candidates shall be the same as mentioned in the combind appointment order issued under rule 15 of the Uttarakhand Government servants (Seniority) Rules, 2002.

(2) The interse seniority of persons appointed by promotion shall be the same as it was in the cader from which they were promoted;

Provided That-

(i) Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in subsequent year or year, the persons so appointed shall not get seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointemts are made, however, in the combined list to be prepared under this rule their names shall be placed at the top followed by the names, of the other appointees in cyclic order.

(ii) Where, in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure, be filled from the other source and appointments in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the senority of that very year as if they are appointed against the vacancies in accordance with the quota.

Probation 10.(1)Every person on appointment to a post in the service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2)The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any other equivalent or higher post,to be taken in to account for the purpose of computing the period of probation.

(3)The Appointing Authority may,for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases,specifying the date upto which the extension is granted;

Provided that,save in exceptional circumstances,the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(4)If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his/ her opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he/she may be reverted to

his/her substantive post if any,and if he/she does not hold a lien on any post,his/her servies may be dispensed with.

(5)A probationer,who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule(4),shall not be entitled to any compensation.

Confirmation 11.(1)A probationer shall be confirmed in his/her appointment at the end of the period of probation or extended period of probation if-

(a) his/her work and conduct is reported to be satisfactory,

(b)his/her integrity is certified,and

(c)the Appointing Authority is satisfied that he/she is otherwise fit for confirmation.

(2)Where,in accordance with the provisions of the Uttarakhand Government Servant (Confirmation)Rules,2002 confirmation is not necessary,the order,passed under sub-rule(3) of rule 5 of these rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation period,shall be deemed to be the order of confirmation.

Part- VI- Pay etc.

Scales of Pay 12.(1)The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time

(2) The scale of pay at the time of the commencement of these rules shall be as follows:-

S.N.	Designation	Name of Pay Scales /Pay Band	Pay Band/ Pay Scales	Pay Band
1	2	3	4	5
1.	Assistant Registrar, Commercial Tax Tribunal,Uttarakhand	Pay Band-2	Rs.9300-34800	4600

Pay during Probation 13.(1) The pay during probation of a person, who was already holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental rules;

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not account for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

Part-VII- Other Provisions

Convassing 14. No recommendations,either written or oral,other than those required under the rules applicable to the post or service,will be taken into consideration.Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/her candidature, will disqualify him/her for appointment.

Regulation of other matters

15. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders,the persons appointed to the Service shall be governed by the rules,regulations and orders,applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of Service

16. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case,it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case,by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner.

Savings

17. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Seheduled Castes,Seheduled Tribes,Other Backward Classes and other Special categories of candidates in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix

[Please see rule 4(2)]

Existing strength of the service and various categories of posts therein-

Sl. No.	Designation	No. of Posts		Total
		Permanent	Temporary	
1.	Assistant Registrar,Commercial Tax Tribunal	-	1	1

By Order,

RAKESH SHARMA,
Additional Chief Secretary.

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

28 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 556/VII-2/2015/-17उद्योग/2013–औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 742/VII-1/2013/-166 उद्योग/2011, दिनांक 04 अप्रैल, 2003 द्वारा मेगा उपक्रमों को आकर्षित करने एवं प्रोत्साहन योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु मेगा इण्डस्ट्रीयल तथा इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, 2013 प्रख्यापित की गई जिसे कार्यालय ज्ञाप सं0 330/VII-1-14/17 उद्योग/2013, दिनांक 26–06–2014 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु नवीनीकृत किया गया। उक्त अवधि समाप्त हो जाने के फलस्वरूप एवं राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने, राज्य की आर्थिक विकास दर बनाये रखने, स्थानीय स्तर पर उद्यम कुशलता के अवसर प्रदान किये जाने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल महोदय, निम्नवत् संशोधित मेगा इण्डस्ट्रीयल एवं इन्वेस्टमैंट नीति, 2015 प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

i. इस नीति का नाम "मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट पॉलिसी" 2015 होगा।

ii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र आच्छादित होंगे।

iii. इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार/सिडकुल द्वारा चिन्हित औद्योगिक आस्थानों में निम्न प्रकार के उद्योग सम्मिलित किये जायेंगे:–

(अ) एकल उद्योग।

(ब) हॉस्पिटल।

(स) मिश्रित उद्योग (इस श्रेणी के अंतर्गत औद्योगिक इकाईयों के साथ उनकी प्रोसेसिंग इकाईयो को भी अनुमन्य किये जाने का प्रस्ताव किया जाता है। जैसे डेरी एवं डयरिंग से सम्बन्धित डेयरिंग उत्पाद की Processing Unit, टैक्सटाईल उद्योग तथा उससे सम्बन्धित वस्त्र प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि।

iv. उपरोक्त प्रांविधानों के अंतर्गत इच्छुक उद्यमियों को भूमि का आवंटन सिडकुल द्वारा वर्तमान Single Window Policy के अंतर्गत सिडकुल की समय–समय पर निर्धारित पद्धति के आधार पर सिडकुल के निर्धारित मूल्य के आधार पर दिया जायेगा।

v. इस औद्योगिक नीति के अंतर्गत रू0 50.00 करोड से अधिक पूँजी निवेश की नई परियोजनायें एवं विद्यमान परियोजनाओं के विस्तारीकरण वाली इकाईयाँ भी आच्छादित होगी।

vi. पूँजी निवेश के आधार पर परियोजनाओं को निम्नवत् वर्गीकृत किया जाता है:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– रू0 50.00 करोड़ से रू0 75.00 करोड़ तक पूँजी निवेश
2. मैगा प्रोजेक्टस–रू0 75.00 करोड़ से रू0 200 करोड़ तक पूँजी निवेश।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–रू0 200.00 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश।

vii. इस नीति के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों (31 मार्च 2020) तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉं लाभान्वित होगी।

viii. नीति के अंतर्गत योजनाओं को भूमि आवंटन में सिडकुल की वर्तमान प्रचलित दरों में निम्नवत् विशेष छूट प्रदान की जायेगी:–

1. लार्ज प्रोजेक्टस– सिडकुल की प्रचलित दरों पर 15 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
2. मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 25 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।
3. अल्ट्रा मैगा प्रोजेक्टस–सिडकुल की प्रचलित दरों पर 30 प्रतिशत की भूमि दर पर छूट।

ix. इस नीति के अंतर्गत सिडकुल द्वारा आवंटित भूमि के मूल्य (छूट के उपरान्त) का 20 प्रतिशत आवंटन पर तथा शेष 7 वर्ष की समान किस्तों पर निर्धारित ब्याज सहित देय होगा।

x. तीन वर्षों तक उत्पादन में न आने वाले उद्योग से नीति के अंतर्गत अनुमन्य समस्त रियायतें वापिस ले ली जायेगी।

xi. इस नीति के अंतर्गत छूटें एवं रियायतें निम्नवत् होंगी:–

1. **Validity Period of Scheme** : आगामी 05 वर्ष यथा 31 मार्च, 2020 तक उत्पादन में आने वाली इकाईयॉं।
2. **State Capital Subsidy** : केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के लिये वर्ष 2017 तक MSME Sector में 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 50.00 लाख तथा वृहद् उद्यम हेतु 15 प्रतिशत या अधिकतम रू0 30.00 लाख की छूट उद्यमियों को दी जायेगी।
3. **Interest Subsidy** : उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक उद्यमियों को 7 प्रतिशत तक की Interest subsidy दी जायेगी।
4. **Vat Concession** : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक निम्नानुसार छूट प्रदान की जायेगी:–
   1. लार्ज प्रोजेक्टस– वैट दर 30 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु।
   2. मैगा प्रोजेक्टस/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस–वैट दर 50 प्रतिशत उत्पादन तिथि से अग्रिम 5 वर्षों हेतु।

5. **Power Assistance/Power Bill Rebat** : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों हेतु उत्पादन के उपरान्त आगामी 5 वर्षों हेतु अघोषित विद्युत कटौती एवं रू0 1.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दी जायेगी तथा इलैक्ट्रिक ड्यूटी में 100 प्रतिशत छूट 5 वर्षो के लिये प्रदान की जायेगी।
6. **Rebate on Stamp Duty** : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उद्यमियों को Land Purchase/Lease Deed सम्पादन करने पर 50 प्रतिशत Stamp Duty पर छूट दी जायेगी।
7. **Concession in Land Regitration Fee** : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भूमि क्रय/लीजडीड निष्पादन के पंजीकरण हेतु रू0 1/–प्रति रू0 1000/–का शुल्क लिया जायेगा।
8. **Subsidy on ETP** : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा ई0टी0पी0 हेतु 30 प्रतिशत कैपिटल सबसिडी अधिकतम रू0 50.00 लाख तक दी जायेगी।
9. **Rebate on Mandi Tax** : उत्तराखण्ड सरकार द्वारा टैक्सटाइल उद्यम पर Mandi Tax पर 75 प्रतिशत छूट दी जायेगी।
10. **CST** : उत्तराखण्ड राज्य द्वारा उद्यमियों को उत्पादन तिथि से 5 वर्षो तक 1 प्रतिशत CST प्रस्तावित।
11. **Payroll assistance for promoting greater employment generation** : उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तावित किया जाता है कि जिन उद्यमों में Specified Threshold of direct employees से दोगुने कर्मचारी कार्यरत हो को Specified Threshold of direct employees के अतिरिक्त कर्मचारियों पर रू0 500/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी की सब्सिडी आगामी 10 वर्षो तक दी जायेगी। महिला कर्मचारियों हेतु रू0 700/– प्रतिमाह प्रति कर्मचारी Specified direct employees प्रतिमाह की सब्सिडी प्रदान की जायेगी।

xii. इस नीति के जारी होने के बाद उत्तराखण्ड राज्य में टैक्स की Levy के लिये GST या किसी भी अन्य इसी तरह के कानून द्वारा प्रस्तावित किसी भी कर को उद्यम के एक ही आर्थिक लाभ को बनाये रखने के क्रम में समायोजित किया जायेगा।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,

अपर मुख्य सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति / पदोन्नति

29 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 640 / 2015/01(100)/XXVII(8)/02T.C.–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2014–15 एवं चयन वर्ष 2015–16 में सहायक आयुक्त, वेतनमान ₹ 15600–39100 + ग्रेड वेतन ₹ 5400 के रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या–158 / 44(1) / ई–1 / डी0पी0सी0 / 2014–15 एवं संख्या–159 / 20 / ई–1 / डी0पी0सी0 / 2015–16, दिनांक 27–07–2015 के माध्यम से प्राप्त संस्तुतियों के अनुसार नियमित चयनोपरान्त निम्नांकित वाणिज्य कर अधिकारियों को एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुये नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है:–

चयन वर्ष 2014–15	चयन वर्ष 2015–16
1. श्रीमती राजेश्वरी	1. श्रीमती ज्योति पाण्डे
2. श्रीमती शिखा थपलियाल	

2. उक्त पदोन्नति आदेश में उल्लिखित अधिकारियों के क्रम का ज्येष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है।

3. उक्त पदोन्नति रिट याचिका संख्या–196 / 2014(एस0 / बी0) राज्य बनाम श्री के0एस0 नेगी व अन्य, रिट याचिका संख्या–278(एस0 / बी0) / 2013 नन्दन गिरी बनाम राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या–200(एस0 / बी0) / 2015 अशोक सिंह गर्ब्याल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या–304(एस0 / बी0) / 2013, मानवेन्द्र सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य, मा0 लोक सेवा अधिकरण में दाखिल निर्देश रिट याचिका संख्या–23 / एन0बी0 / 2011, श्री शेरी राम एवं अन्य बनाम व अन्य, रिट याचिका संख्या–250 / (एस0 / बी0) / 2015, उमेश दूबे बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगी।

4. सम्बन्धित पदोन्नति अधिकारियों की नियमित तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय आदेश (संशोधित)

31 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 2732 / X-1-2015-04(01)/2015–राज्य वन सेवा के अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती सम्बन्धी आदेश संख्या–2676/X-1-2015-04(01)/2015A, दिनांक 28 जुलाई, 2015 द्वारा किये गये निम्नलिखित अधिकारियों के स्थानान्तरण / तैनाती को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान तैनाती	एतद्द्वारा संशोधित तैनाती	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	श्री राम गोपाल, प्रभारी प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी	उप निदेशक, ईको टूरिज्म, देहरादून	–
2.	श्री भरत सिंह, सहायक वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	सहायक वन संरक्षक, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	यथावत

डॉ0 रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–4

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 156/XXXI(4)-03(विविध)/2015–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के लेखा संवर्ग के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी (लेखा) को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव (लेखा), वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 6600 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिकारी को अनु सचिव (लेखा) के पद पर 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. जब तक सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनु0–3 में नियमित अनुभाग अधिकारी की तैनाती नहीं कर दी जाती है, तब तक श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग–3 के अनुभाग अधिकारी के कार्य एवं दायित्वों का निवर्हन किया जाता रहेगा।

5. उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उ0प्र0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्क्रम में वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

आज्ञा से,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव।

कार्यभार प्रमाणक

प्रमाणित किया जाता है कि सचिवालय प्रशासन विभाग (अधि0) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड सचिवालय के प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 156/XXXI(4)-03(विविध)/2015, दिनांक 31 जुलाई, 2015 के क्रम में जैसा कि इसमें व्यक्त किया गया है, के आधार पर आज दिनांक 31 जुलाई, 2015 के पूर्वान्ह में अनु सचिव (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है।

अवमोचक अधिकारी

नरेन्द्र सिंह,
अनु सचिव (लेखा)

प्रतिहस्ताक्षरित

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग।

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

(संशोधन)

31 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 668/पदो0–15/XXXI(1)/2014–श्री अर्जुन सिंह, अपर सचिव को सचिवालय प्रशासन विभाग के प्रोन्नति/विज्ञप्ति संख्या 158/XXXI(1)/2005, दिनांक 07 जून, 2005 द्वारा अपर सचिव के पद पर की गयी पूर्णतया औपबन्धिक पदोन्नति को सम्यक् विचारोपरान्त दिनांक 07 जून, 2005 से "पूर्णतया औपबन्धिक" पदोन्नति के स्थान पर "नियमित पदोन्नति" किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1927 / पदो0 05/XXXI(1)/2012—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के अन्तर्गत श्री संजय सिंह टोलिया, उप सचिव को नियमित चयनोपरान्त संयुक्त सचिव, वेतनमान ₹ 37400—67000 ग्रेड वेतन ₹ 8700 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के विभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री संजय सिंह टोलिया, संयुक्त सचिव को 06 माह की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य तथा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015, शैलेन्द्र कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 271 (एस0बी0) / 2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 272 (एस0बी0) / 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 273 (एस0बी0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. श्री संजय सिंह टोलिया, संयुक्त सचिव को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन पद पर वर्तमान तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग—01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति / विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1928 / पदो0 05/XXXI(1)/2012—उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत निम्नलिखित अनु सचिवों को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान ₹ 15600—39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के विभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

1. श्री प्रकाश चन्द्र जोशी,
2. श्री रणजीत सिंह,
3. श्री राजेन्द्र सिंह बिष्ट,
4. श्री भूपेन्द्र सिंह बोरा।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित उप सचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92 / 2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य तथा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0) / 2015, शैलेन्द्र कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 271 (एस0बी0) / 2015 संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 272 (एस0बी0) / 2015, रावेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 273 (एस0बी0) / 2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0) / 2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उपरोक्त उप सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदोन्नति के पद पर वर्तमान तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 1929/पदो0 05/XXXI(1)/2012–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त अनुसचिव, वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए उनके वर्तमान तैनाती के विभाग में तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. मो0 औबेदुल्लाह अंसारी,
2. श्री निर्मल कुमार,
3. श्री दिनेश कुमार पुनेठा,
4. श्री प्रेम प्रकाश आर्य,
5. श्रीमती मनीषा वर्मा,
6. श्री दिनेश सिंह बड़वाल।

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उल्लिखित अनुसचिवों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3. उक्त पदोन्नति मा0 लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित निर्देश याचिका संख्या 92/2011, अहमद अली व अन्य बनाम राज्य तथा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 146 एस0बी0/2015, दिनेश कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 22122/2013, सुनील कुमार मिश्रा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में रिट याचिका संख्या 270 (एस0बी0)/2015, शैलेन्द्र कुमार पन्त बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 271 (एस0बी0)/2015, संजीव कुमार शर्मा बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 272 (एस0बी0)/2015, राजेन्द्र कुमार चौहान बनाम राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 273 (एस0बी0)/2015, धर्मेन्द्र सिंह पयाल बनाम राज्य व अन्य एवं रिट याचिका संख्या 274 (एस0बी0)/2015, ललित मोहन आर्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

4. उक्त पदोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि उत्तर प्रदेश सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं, तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तित/प्रत्यावर्तित किया जायेगा।

5. उपरोक्त अनुसचिवों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी पदोन्नति के पद पर वर्तमान तैनाती के विभाग में तत्काल कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/497–भाग 1–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

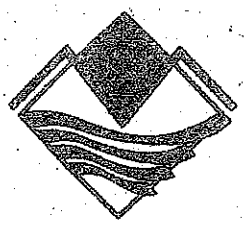

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2015 ई0 (भाद्रपद 14, 1937 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

July 28, 2015

No. 215/UHC/XIV/91/Admin.A/2003--Dr. Seash Chandra, Civil Judge (Sr. Div.), Laksar, District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 01-07-2015 to 12-07-2015.

NOTIFICATION

July 28, 2015

No. 217/UHC/XIV-a-40/Admin.A/2008--Ms. Deepali Sharma, Civil Judge (Sr. Div.), Hardwar is hereby sanctioned child care leave for 15 days *w.e.f.* 03-07-2015 to 17-07-2015, in terms of Office Memorandum No. 11/XXVII(7)34/2011 dated 30-05-2011 issued by Government of Uttarakhand.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

July 28, 2015

No. 216/UHC/Admin.A/2015--In exercise of powers conferred by Sub Section (2) of Section 19 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act, 1887 (Act No. XII of 1887) [also applicable to the State of Uttarakhand] read with government of Uttaranchal (Now Uttarakhand) Notification No. 420-Ek (1)/XXXVI (1)/ Nyay Anubhag/2005, dated 07-11-2005, the High Court is pleased to direct that the following 48 Civil Judges (Jr. Div.), posted in the State of Uttarakhand, shall have jurisdiction to try Civil Suits of pecuniary value not exceeding ₹ 1.00 Lac.

1. Ms. Rinky Sahni
2. Ms. Shivani Pasbola
3. Sri Ravi Prakash
4. Sri Shahjad Ahmad Wahid
5. Ms. Akata Mishra
6. Sri Rajeev Dhavan
7. Sri Mohammad Yaqub
8. Ms. Chhavi Bansal
9. Ms. Ritika Semwal
10. Ms. Vibha Yadav
11. Sri Sanjay Singh
12. Sri Sayed Gufran
13. Ms. Indu Sharma
14. Sri Manoj Kumar Dwivedi
15. Ms. Niharika Mittal
16. Sri Harsh Yadav
17. Sri Ravi Shanker Mishra
18. Sri Sandip Kumar Tiwari
19. Ms. Seema Dungrakoti
20. Ms. Shachi Sharma
21. Ms. Sweta Pandey
22. Sri Abhishek Kumar Srivastava
23. Ms. Sweta Rana Chauhan
24. Sri Avinash Kumar Srivastava
25. Ms. Tricha Rawat
26. Sri Sachin Kumar
27. Ms. Lalita Singh
28. Ms. Arti Saroha
29. Sri Sanjeev Kumar
30. Ms. Simranjeet Kaur
31. Sri Sandeep Singh Bhandari
32. Ms. Shama Nargis
33. Ms. Neha Kushawaha
34. Ms. Anita Kumari
35. Ms. Neha Qayyum
36. Sri Akram Ali
37. Sri Neeraj Kumar
38. Sri Ashok Kumar
39. Smt. Payal Singh
40. Ms. Nazish Kaleem
41. Ms. Rashmi Goyal
42. Sri Akhilesh Kumar Pandey

43. Sri Imran Mohd. Khan
44. Sri Sachin Kumar Pathak
45. Ms. Durga
46. Sri Puneet Kumar
47. Sri Rajesh Kumar
48. Sri Dayaram.

NOTIFICATION

July 29, 2015

No. 218/UHC/Admin.A/2015--Sri Sachin Kumar, Civil Judge (Jr. Div.), Pauri Garhwal has been given additional charge of the Court of Civil Judge (Jr. Div.), Srinagar, District Pauri Garhwal *vide* notification No. 185/UHC/Admin.A/2015, dated June 05, 2015 to hold Camp Court at Srinagar for two continuous days in every fortnight.

In partial modification to the above said notification, he is henceforth directed to hold Camp Court at Srinagar for two consecutive days in a week.

This order will come into force with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-

D. P. GAIROLA,
Registrar General.

कार्यालय सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई०

पत्रांक 325/टी०आर०/UK08TA-0539/2015–वाहन सं० UK08TA-0539 विक्रम टेम्पो मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चैसिस नं० 012142 तथा इंजन नं० A9D0238676 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि० 31–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा० सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि०) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा० सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं० UK08TA-0539 विक्रम टेम्पो का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई०

पत्रांक 326/टी०आर०/UA08J-6743/2015–वाहन सं० UA08J-6743 ऑटो रिक्शा मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं० 93922A7 तथा इंजन नं० R6M0342459 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि० 10–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा० सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि०) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08J-6743 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 327/टी0आर0/UA08D-9971/2015–वाहन सं0 UA08D-9971 ऑटो रिक्शा मॉडल 2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 83408B5 तथा इंजन नं0 R5B59414 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 23–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08D-9971 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 328/टी0आर0/UA08H-9616/2015–वाहन सं0 UA08H-9616 ऑटो रिक्शा मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KRTKP011960 तथा इंजन नं0 R6K0306966 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08H-9616 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 329/टी0आर0/UA08D-9926/2015–वाहन सं0 UA08D-9926 ऑटो रिक्शा मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 77780-C4 तथा इंजन नं0 RUC73730 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 24–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत पंजीयन चिन्ह सं0 UA08D-9926 ऑटो रिक्शा वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 330/टी0आर0/UA08J-1696/2015–वाहन सं0 UA08J-1696 ऑटो रिक्शा मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KRTKP011686F06 तथा इंजन नं0 R6H0286601 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 12–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08J-1696 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 331/टी0आर0/UA08E-9385/2015–वाहन सं0 UA08E-9385 ऑटो रिक्शा मॉडल 2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KRTKP010069B05 तथा इंजन नं0 R5D86664 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08E-9385 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 332/टी0आर0/UA08A-6288/2015–वाहन सं0 UA08A-6288 बस मॉडल 1995, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 359350GUQ006496 तथा इंजन नं0 697D28GUQ127275 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 31–12–2014 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08A-6288 बस का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 333/टी0आर0/UP10B-7581/2015–वाहन सं0 UP10B-7581 भारी वाहन मॉडल 1997, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 360094LTQ133008 तथा इंजन नं0 697D24CTQ158081 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP10B-7581 भारी वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 334/टी0आर0/UA08E-9549/2015–वाहन सं0 UA08E-9549 ऑटो रिक्शा मॉडल 2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 86237G5 तथा इंजन नं0 R5G118585 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08E-9549 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 335/टी0आर0/UA08E-9622/2015–वाहन सं0 UA08E-9622 ऑटो रिक्शा मॉडल 2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KRTKP00498E05 तथा इंजन नं0 R54HP809 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08E-9622 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 336/टी0आर0/UA08J-7775/2015–वाहन सं0 UA08J-7775 विक्रम टेम्पो मॉडल 2007, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 44700633IDY तथा इंजन नं0 A7D0088859 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 23–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08J-7775 विक्रम टेम्पो का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 337/टी0आर0/UA08D-9784/2015–वाहन सं0 UA08D-9784 ट्राली मॉडल 2005, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 0502080331 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08D-9784 ट्राली का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

04 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 338/टी0आर0/HR47-6228/2015–वाहन सं0 HR47-6228 भार वाहन मॉडल 1999, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 373011CQQ002779 तथा इंजन नं0 697D22CQQ109773 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 23–02–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 HR47-6228 भार वाहन का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

17 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 343/टी0आर0/UK08TA-0095/2015–वाहन सं0 UK08TA-0095 ऑटो रिक्शा विक्रम मॉडल 2008, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 008659 तथा इंजन नं0 A8A0147739 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 16–02–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UK08TA-0095 ऑटो रिक्शा विक्रम का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

18 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 344/टी0आर0/UP06-1345/2015–वाहन सं0 UP06-1345 भार वाहन मॉडल 1993, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 BU888010566 तथा इंजन नं0 14B1285033 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 30–03–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UP06-1345 ऑटो रिक्शा विक्रम का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

18 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 345/टी0आर0/UA08H-9415/2015–वाहन सं0 UA08H-9415 ऑटो रिक्शा मॉडल 2006, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 KEMPL 2772406 तथा इंजन नं0 R5M187163 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 13–04–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08H-9415 ऑटो रिक्शा का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

कार्यालयादेश

18 अप्रैल, 2015 ई0

पत्रांक 346/टी0आर0/UA08G-9940/2015–वाहन सं0 UA08G-9940 ऑटो रिक्शा विक्रम मॉडल 2006, इस कार्यालय में पंजीकृत है, जिसका चेसिस नं0 003264 तथा इंजन नं0 16L22194 है। वाहन के मार्ग पर संचालन योग्य नहीं होने के कारण, वाहन स्वामी के द्वारा वाहन के प्रपत्र कार्यालय में दि0 15–04–2015 में समर्पण कराये गये हैं। वाहन स्वामी के द्वारा वाहन की चेसिस प्लेट कार्यालय सहा0 सम्भागीय निरीक्षक (प्रावि0) के समक्ष विनिष्ट करने हेतु प्रस्तुत करते हुये वाहन के पंजीयन चिन्ह निरस्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

वाहन स्वामी द्वारा किये गये आवेदन पर, मैं, मनीष तिवारी, सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हरिद्वार, मोटरयान अधिनियम, 1988 के नियम–55 (1) के दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत वाहन सं0 UA08G-9940 ऑटो रिक्शा विक्रम का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त घोषित करता हूँ।

मनीष तिवारी,
सहा0 सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), हरिद्वार।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

16 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्रांक 700/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UA03-4047 THREE WHEELER (GOODS) मॉडल 2006, चेसिस नं0 MALB2FJ63A55039 इंजन नं0 RSM193656 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री जिशान पुत्र श्री अकील अहमद, निवासी इस्लाम नगर, वार्ड नं0–5, उमरूखुर्द खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 27–09–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–11–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA03-4047 THREE WHEELER (GOODS) चेसिस नं0 MALB2FJ63A55039 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

20 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्रांक 701/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UK03TA-0246 JEEP TAXI मॉडल 2010, चेसिस नं0 MA3EADE1S00118844 इंजन नं0 K10BN4127442 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री ईश्वरी प्रसाद पुत्र श्री बहादूर राम, निवासी मोहनपुर आमबाग, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 26–06–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–06–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UK03TA-0246 JEEP TAXI चेसिस नं0 MA3EADE1S00118844 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

09 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्रांक 702/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UP03-1557 HGV मॉडल 1995, चेसिस नं0 359U73EUQ112668 इंजन नं0 697D26MVQ135509 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री जय सिंह पाल पुत्र श्री जमुना प्रसाद पाल, निवासी घसीयारामण्डी, तहसील–टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–06–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार

वाहन का कर 30–06–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP03-1557 HGV चेसिस नं0 359U73EUQ112668 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

09 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्रांक 703/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UP29-0295 HGV मॉडल 1999, चेसिस नं0 373043MRQ004894 इंजन नं0 697D21MRQ2133032 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री सतीश पाल पुत्र श्री जमना प्रसाद, निवासी म0नं0 01, घसियारी मण्डी, वार्ड नं0 06, तहसील–टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–06–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–06–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP29-0295 HGV चेसिस नं0 373043MRQ004894 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

16 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्रांक 704/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UP04A-0159 HGV मॉडल 1997, चेसिस नं0 360044CSQ005291 इंजन नं0 697D24CSQ113987 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्रीमती जुही गुप्ता पत्नी श्री मनोज कुमार गुप्ता, निवासी वार्ड नं0–05, नेहरू मार्ग टनकपुर, तहसील–टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज हैं, वाहन स्वामी ने दिनांक 26–09–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP04A-0159 HGV चेसिस नं0 360044CSQ005291 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

16 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्रांक 705/पंजीयन निरस्त/2014–15–वाहन संख्या UP29-1050 HGV मॉडल 2000, चेसिस नं0 37304AZZ100599 इंजन नं0 697D21AZZ100599 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री सतीश पाल पुत्र श्री जमना प्रसाद पाल, निवासी म0नं0 01, घसियारी मण्डी, वार्ड नं0 06, तहसील–टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 26–09–2014 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30–09–2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विमल पाण्डेय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP29-1050 HGV चेसिस नं0 37304AZZ100599 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

विमल पाण्डेय,
पंजीयन अधिकारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून

आदेश

23 मई, 2015 ई0

संख्या 1291/प्रशासन/लाइसेंस/2015–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विकासनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13–11–2014 को वाहन संख्या यूके–07टीए–0284 का निर्धारित क्षमता 10 के स्थान पर 15 सवारियां ले जाने, चालक कक्ष में 04 सवारी बैठी होने एवं छत पर 04 सवारी बैठी होने के अभियोग में चालान किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण वाहन चालक श्री धर्म सिंह पुत्र श्री बलिया, जोड़ी, कालसी, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूके–0720010204910 जो कि इस कार्यालय द्वारा परिवहन यान, पीएसवी बस के लिए जारी किया गया है तथा दिनांक 27–04–2015 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। उक्त सम्बन्ध में लाईसेंसधारक को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस संख्या–109 दिनांक 07–01–21015 जारी किया गया है। लाईसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 19–05–2015 से दिनांक 03–07–2015 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। लाइसेंसधारक द्वारा निलम्बन अवधि समाप्त होने पर अधिकृत चालक प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा।

आदेश

23 मई, 2015 ई0

संख्या 1293/प्रशासन/लाइसेंस/2015–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) विकासनगर द्वारा दिनांक 13–03–2015 को वाहन संख्या यूके–07एएच–5601 मोटर साइकिल का चालक द्वारा हैल्मेट न पहनने, वाहन चलाते हुए मोबाईल पर वार्ता करने एवं शिक्षार्थी लाइसेंस पर वाहन का संचालन करने के अभियोग में चालान किया गया। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री कादिर खान पुत्र श्री शब्बीर खान, शंकरपुर, हुकुमतपुर, सहसपुर, देहरादून की शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति संख्या यूके–07/एलएल/912/2015 जो कि मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी है तथा दिनांक 07–07–2015 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस संख्या–865 दिनांक 24–03–21015 जारी किया गया है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

23 मई, 2015 ई0

संख्या 1294/प्रशासन/लाइसेंस/2015–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून द्वारा दिनांक 16–02–2015 को वाहन संख्या यूके–07टीए–5015 विक्रम का वाहन में निर्धारित क्षमता 07 के स्थान पर 11 सवारियां ले जाने, चालक कक्ष में 03 सवारियां ले जाने (असुरक्षित संचालन) के अभियोगों में चालान किया गया। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक श्री ललित कुमार वर्मा पुत्र श्री एम0 एम0 एल0 वर्मा, कल्याणपुर, विकासनगर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूए–0720010151481 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का परिवहन यान, के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 25–03–2017 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस संख्या–843, दिनांक 31–03–2015 जारी किया गया है, जो कि लाइसेंसधारक का पता सही न होने के कारण डाक विभाग की टिप्पणी के साथ कार्यालय को वापस प्राप्त हो गया है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन) देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 19–05–2015 से दिनांक 03–07–2015 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंसधारक द्वारा किसी अधिकृत चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा तथा लाइसेंसधारक द्वारा नियमानुसार लाइसेंस में अपना सही पता अंकित कराया जायेगा।

आदेश

23 मई, 2015 ई0

संख्या 1298/प्रशासन/लाइसेंस/2015–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून द्वारा दिनांक 10–07–2014 को वाहन संख्या यूके–07पीए–0440 बस का वाहन में निर्धारित क्षमता 25 के स्थान पर 41 सवारियां ले जाने (17 सवारी ओवरलोड होने) एवं चालक/परिचालक के निर्धारित वर्दी में न होने आदि अभियोगों

में चालान किया गया। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त तिथि को वाहन में कार्यरत चालक श्री पवन सिंह रावत पुत्र श्री उमेद सिंह रावत, तुनवाला, रायपुर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूए–07200800350 19 जो कि इस कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का परिवहन के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 04–02–2017 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस संख्या–844, दिनांक 31–03–21015 जारी किया गया है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में अभी तक कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः, लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 19–05–2015 से दिनांक 17–07–2015 तक की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। उक्त अवधि के पश्चात् लाइसेंसधारक द्वारा किसी अधिकृत चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा।

संदीप सैनी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), देहरादून।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी कोटद्वार, गढ़वाल

कार्यालय आदेश

20 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 460/कर–पंजी/पंजी0 निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UP06-1786 (स्कूटर) के वाहन स्वामी श्री संजय खुराना पुत्र श्री जसवन्त खुराना, निवासी पटेल मार्ग कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 20–06–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनका उक्त वाहन काफी पुराना होने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गया है। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा शपथ–पत्र संलग्न किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चेसिस काट कर कार्यालय में जमा कर दिया गया है। वाहन संख्या UP06-1786 (स्कूटर) का चेसिस संख्या 051087 व इंजन संख्या 051370 है, वाहन का मॉडल 1994 है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रवर्तन शाखा की आख्यानुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, सुरेन्द्र कुमार पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धारा–55 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP06-1786 (स्कूटर) चेसिस संख्या 051087 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

20 जुलाई, 2015 ई0

संख्या 461/कर–पंजी/पंजी0 निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UK15-1514 (एल0एम0वी0 कार) के वाहन स्वामी श्री राजेश सिंह पुत्र श्री भवानी सिंह, निवासी म0नं0 13, डबरालस्यू–3, चैलूसैण लैन्सडौन, जनपद पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 06–07–2015 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनका उक्त वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण संचालन योग्य नहीं रह गया है। दुर्घटना के सम्बन्ध में वाहन स्वामी

द्वारा वाहन की फोटो एवं पुलिस रिपोर्ट की छायाप्रति व शपथ–पत्र संलग्न किया गया है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन का चेसिस काट कर कार्यालय में जमा कर दिया गया है। वाहन संख्या UK15-1514 (एल0एम0वी0 कार) का चेसिस संख्या MA3EUA61S00388655 व इंजन संख्या F8DN5172816 है, वाहन का मॉडल 2014 है। वाहन स्वामी द्वारा वाहन के संचालन योग्य न होने के कारण वाहन का पंजीयन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रवर्तन शाखा की आख्यानुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, सुरेन्द्र कुमार पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, कोटद्वार, मोटर वाहन अधिनियम–1988 की धारा–55 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UK15-1514 (एल0एम0वी0 कार) चेसिस संख्या MA3EUA61S00388655 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,
कर–पंजीयन अधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
कोटद्वार।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

29 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 552/पंजीयन निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UTF-9010 HGV मॉडल 1988, चेसिस नं0 344073718708 इंजन नं0 692D01719466 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री हरी ओम अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम अग्रवाल, निवासी–इन्द्रा नगर, खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–06–2015 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विपिन कुमार सिंह, परिवहन कर अधिकारी प्रथम, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29–07–2015 को वाहन संख्या UTF-9010 HGV चेसिस नं0 344073718708 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 553/पंजीयन निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UP06-6253 BUS मॉडल 2000, चेसिस नं0 412050EZZ112311 इंजन नं0 00E62149809 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री जमुना प्रसाद पुत्र श्री कमला पाल, निवासी–मकान नं0 1, घसियारामण्डी, टनकपुर, जिला–चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 12–07–2015 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विपिन कुमार सिंह, परिवहन कर अधिकारी प्रथम, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29–07–2015 को वाहन संख्या UP06-6253 BUS चेसिस नं0 412050EZZ112311 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 554/पंजीयन निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UPE-6014 HGV मॉडल 1981, चेसिस नं0 344073739965 इंजन नं0 692D01742284 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री हरेन्द्र सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह, निवासी–शास्त्री नगर, वार्ड नं0 3 टनकपुर, जिला–चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 30–06–2015 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विपिन कुमार सिंह, परिवहन कर अधिकारी प्रथम, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29–07–2015 को वाहन संख्या UPE-6014 HGV चेसिस नं0 344073739965 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

29 जुलाई, 2015 ई0

पत्रांक 555/पंजीयन निरस्त/2015–16–वाहन संख्या UA12-0003 BUS मॉडल 2000, चेसिस नं0 412050GZZ115314 इंजन नं0 00F62150645 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री जय सिंह पुत्र श्री जमुना प्रसाद, निवासी–घसियारामण्डी, वार्ड नं0 6 टनकपुर, जिला–चम्पावत के नाम दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 12–07–2015 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तभी कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, विपिन कुमार सिंह, परिवहन कर अधिकारी प्रथम, टनकपुर (प्रशासन), केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 29–07–2015 को वाहन संख्या UA12-0003 BUS चेसिस नं0 412050GZZ115314 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,
परिवहन कर अधिकारी–प्रथम/पंजीयन अधिकारी,
सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय,
टनकपुर (चम्पावत)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/497–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 05 सितम्बर, 2015 ई0 (भाद्रपद 14, 1937 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मेरे पति EX-PO No. 113697B ओम प्रकाश सिंह जलाल के सैन्य अभिलेखों में त्रुटिवश मेरा नाम कुसुम जलाल एवं जन्म तिथि 21–04–1969 अंकित हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम कुसुम लता जलाल एवं जन्म तिथि 27–05–1969 है। भविष्य में मुझे कुसुम लता जलाल के नाम से जाना जाय।

समस्त औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गयी हैं।

कुसुम लता जलाल,
पत्नी श्री ओम प्रकाश सिंह जलाल,
आनन्दी पुरम,
निकट आर के टेन्ट हाऊस,
कुसुम खेड़ा, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल (उत्तराखण्ड)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 36 हिन्दी गजट/497–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।